न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 11/2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 छीतरमल पुत्र छाजूराम।
2 तेजाराम पुत्र छाजूराम।
3 हरसाराम पुत्र छाजूराम।
4 जगदीश पुत्र छाजूराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी ढेहर की तन कल्याणपुरा थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रूघनाथ पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी ढ़ाणी ढेहर की तन कल्याणपुरा थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 03.03.2020

यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की अपील संख्या 87/2017 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2017 को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए उभयपक्ष को पाबन्द किया गया था। इस आदेश की अवमानना का आवेदन पेश किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन ओदश दिनांक 15.12.2017 की अप्रार्थीगण द्वारा अवहेलना कर विवादित भूमि पर पक्का निर्माण कर, विधुत पोल खड़े किये गये है। इस पर आवेदकगण की और से यह अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण में इस न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुये भी अप्रार्थीगण ने भूमि खसरा नम्बर 602, 603, 608, 611, 617 वाके ग्राम कल्याणपुरा पर इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन ओदश दिनांक 15.12.2017 की अप्रार्थीगण द्वारा अवहेलना कर विवादित भूमि पर पक्का निर्माण कर, विधुत पोल खड़े किये गये है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है। जिन्हे उक्त कृत्य के लिए दण्डित किया जाना प्रार्थनीय है। अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2017 को अपील संख्या 87/2017 में उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना का कोई साक्ष्य दस्तावेजी अथवा मौखिक आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। फोटोग्राफ से अवमानना किया जाना प्रमाणित नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय के आदेश की अवमानना किया जाना प्रमाणित नही है। आवेदन सारहीन है। खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2017 को अपील संख्या 87/2017 में उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना का कोई साक्ष्य दस्तावेजी अथवा मौखिक आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। फोटोग्राफ से अवमानना किया जाना प्रमाणित नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश की अवमानना किया जाना प्रमाणित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सूरवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर